

163


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्र० क्र० विविध - एक / 17
श्री राजनी विशिष्ठ शर्मा
16/01/17 को

वि० क्र० - 9018517

राजेन्द्र ----- आवेदक

विरुद्ध
मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक


16-1-17
ग्वालियर


16/01/17

भूल-सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,


आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

1- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1493-एक/16 में दिनांक 29.11.2016 को आदेश पारित किया गया है जिसमें पृष्ठ क्रमांक-5 पर पैराग्राफ नम्बर-6 में ऊपर से लाइन नम्बर-5 में राजेन्द्र यादव पिता रामस्वरूप यादव के बाद एवं जोड़ा जावे। तथा लाइन नम्बर-6 में रकवा 1.619 है० के बाद पर मुन्नालाल तनय श्री अच्छेलाल जोड़ा जावे।

अतः मान० न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक-5 के पैराग्राफ-6 में ऊपर से लाइन नम्बर-5 में राजेन्द्र यादव पिता रामस्वरूप यादव के बाद एवं जोड़े जाने की कृपा करें। तथा लाइन नम्बर-6 में रकवा 1.619 है० के बाद पर मुन्नालाल तनय श्री अच्छेलाल जोड़ा जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 16/01/17

स्थान- ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी विशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9018-एक/17

जिला-टीकमगढ़

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16 .01.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 1499-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 29.11.16 के पृष्ठ क्रमांक 5 पर पैराग्राफ नम्बर 6 में ऊपर से लाइन नम्बर 5 में राजेन्द्र यादव पिता रामस्वरूप यादव के बाद एवं जोड़ा जावे लाइन नम्बर 6 में रकवा 1.619 हैक्टेयर के बाद पर मुन्नालाल तनय श्री अच्छेलाल जोड़ा जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। पृष्ठ क्रमांक 5 पर पैराग्राफ नम्बर 6 में ऊपर से लाइन नम्बर 5 में राजेन्द्र यादव पिता रामस्वरूप यादव के बाद एवं जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा लाइन नम्बर 6 में रकवा 1.619 हैक्टेयर के बाद पर मुन्नालाल तनय श्री अच्छेलाल का नाम जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी।</p>	<p> सदस्य</p>

R
/me